POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 22.07.2025

1. थाना एक्सप्रेस-वे पुलिस द्वारा एटीएम में फाइबर प्लेट लगाकर लोगों के फंसे रुपये चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 09 मोबाइल फोन, 13 मोबाइल कवर, घटना में प्रयुक्त कार, 46460 रूपये नकद, चोरी करने के उपकरण, डेबिट/क्रेडिट कार्ड व अन्य कागजात बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **22.07.2025** को **थाना एक्सप्रेस-वे पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एटीएम से नकद निकासी स्थान पर फाइबर प्लेट लगाकर रुपये निकालने आये लोगों के फसे हुए रुपये एटीएम से चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए 03 अभियुक्त 1. रोहित डंग पुत्र बलदेव 2. बीनस डंग पुत्र नन्द किशोर डंग 3. वैभव बत्रा पुत्र तुलसी बत्रा को सेक्टर-130 नोएडा के पास पुस्ता सर्विस रोड से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 09 मोबाइल फोन, 13 मोबाइल कवर, 03 मास्टर चाबी, 02 काली फाइबर प्लेट, 46460 रूपये नकद, 13 डेबिट कार्ड, 01 क्रेडिट कार्ड, 02 पैन कार्ड, 01 ड्राइविंग लाइसेंस, 02 आधार कार्ड व घटना में प्रयुक्त कार AURA बरामद की गयी है।

अपराध करने का तरीका/ पूछताछ का विवरण-- अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्तों द्वारा एटीएम बूथों को टारगेट करके मास्टर चाबी से एटीएम में नीचे लगे गेट का ढक्कन खोल कर रूपये निकासी स्थान पर पहले से फाइबर प्लेट लगाकर एटीएम बूथ के बाहर खड़े होकर रूपये निकालने के लिए आने वालों का इंतजार करते थे जब कोई व्यक्ति आकर एटीएम से रूपये निकालता था तो उसका ट्रांजेक्शन तो पूरा हो जाता है लेकिन फाइबर की प्लेट लगी होने के कारण रूपये एटीएम से बहार नही निकल पाते थे तो रूपये निकालने के लिए आने वाला व्यक्ति परेशान होकर वहां से चला जाता था तभी इनमें से कोई भी एटीएम बूथ के अंदर जाकर रूपये निकासी स्थान को मास्टर चाबी की मदद से ढक्कन खोल कर फंसे हुए रूपये निकाल कर चोरी कर लेते थे। यही यही प्रक्रिया लगातार दोहराते थे और अवैध धन अर्जित करते थे। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि करीब एक डेढ़ महीना पहले ग्राम वाजिदपुर पीएनबी बैंक के पास लगे एसबीआई बैंक के एटीएम में फाइबर प्लेट लगाकर एटीएम से रूपयों की चोरी की थी। अभियुक्तों द्वारा Instagram पर Reels देखकर उनसे प्रभावित होकर इस प्रकार का अपराध करना शुरू किया था। अभियुक्तों द्वारा बारी-बारी से ऐसे एटीएम मशीनों की रेकी की जाती थी जिनके नीचे का दरवाजा आसानी से खुल सके।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. रोहित डंग पुत्र बलदेव डंग निवासी पंचवटी कालोनी, खुर्जा, थाना खुर्जा, बुलन्दशहर वर्तमान पता सेक्टर-168 नोएडा, थाना एक्सप्रेस-वे नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उम्र-26 वर्ष।
2. बीनस डंग पुत्र नन्द किशोर डंग निवासी पंचवटी कालोनी, खुर्जा, थाना खुर्जा, बुलन्दशहर वर्तमान पता मोती नगर, दिल्ली, उम्र-23 वर्ष।
3. वैभव बत्रा पुत्र तुलसी बत्रा निवासी ओल्ड आवास विकास कालोनी, थाना सदर, सहारनपुर वर्तमान पता सेक्टर-168 नोएडा, थाना एक्सप्रेस-वे नोएडा, गौतमबुद्धनगर, उम्र-32 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0- 96/2025 धारा 303(2)/317(5)/318(4) बीएनएस व 66-डी आईटी एक्ट, थाना एक्सप्रेस-वे, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

1- 09 मोबाइल फोन

2- 13 मोबाइल कवर

3- 03 मास्टर चाबी,

4- 02 काली फाइबर प्लेट

5- 46460 रूपये नकद

6- घटना में प्रयुक्त कार AURA

7- 13 डेबिट कार्ड, 01 क्रेडिट कार्ड, 02 पैन कार्ड, 01 ड्राइविंग लाइसेंस, 02 आधार कार्ड

2. थाना सेक्टर-113 पुलिस व स्नैचिंग/ चोरी करने वाले बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के संबंध में--

घटना एवं कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **22.07.2025** को **थाना सेक्टर-113 पुलिस** द्वारा थाना सेक्टर-113 क्षेत्रांतर्गत निजी अस्पताल के पास चैकिंग की जा रही थी तभी सामने से एक मोटरसाइकिल पर सवार 02 व्यक्ति आते दिखाई दिये। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल को रूकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा अपनी मोटरसाइकिल मोड़कर पुस्ता रोड पर भगाने का प्रयास करने लगे तभी मोटरसाइकिल अचानक से गिर गयी। मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा पुलिस टीम से अपने आप को घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गये। घायल बदमाशों की पहचान 1. रविन्द्र कसाना उर्फ बल्लू पुत्र मुकेश निवासी ग्राम जावली थाना टीला मोड़ा जिला गाजियाबाद वर्तमान पता रानी गार्डन शास्त्री नगर थाना गीता कालोनी नई दिल्ली उम्र 35 वर्ष 2. पुनीत अरोड़ा पुत्र भगवानदास निवासी जड़ौदी बुराडी थाना बुराडी दिल्ली उम्र 37 वर्ष के रूप में हुई है। घायल बदमाशों के कब्जे से 01-01 तमंचा मय 01-01 खोखा कारतूस व 01-01 जिंदा कारतूस .315 बोर व 02 स्नैचिंग की गई पीली धातु की टूटी हुई चेन व घटना में प्रयुक्त फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गयी है। घायल अभियुक्तों को उपचार हेतु अस्पताल में भेजा गया है। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही।

- **अभियुक्त रविन्द्र कसाना उर्फ बल्लू का आपराधिक इतिहास--**

1. मु0अ0सं0- 0235/2014 धारा 394/397/34 भादवि, क्राइम ब्रांच दिल्ली।

2. मु0अ0सं0- 0272/2018 धारा 392/397/395/412/120बी/34 भादवि, जगतपुरी पुर्वी दिल्ली।

3. मु0अ0सं0- DD NO. 24 धारा 41.1(बी) व 102 सीआरपीसी, जिला रोहिणी दिल्ली।

4. मु0अ0सं0- DD NO.14A तीस हजारी दिल्ली।

5. मु0अ0सं0- 0057/2019 धारा 356/379/34 भादवि, गीता कालोनी पूर्वी दिल्ली।

6. मु0अ0सं0- 0079/2019 धारा 25 आर्म्स एक्ट, क्राइम ब्रांच आउटर डिस्ट्रिक्ट दिल्ली।

7. मु0अ0सं0- 0041/2019 धारा 393/34 भादवि, गीता कालोनी पूर्वी दिल्ली।

8. मु0अ0सं0- 0099/2019 धारा 394/ 511 भादवि,थाना पांडव नगर दिल्ली।

9. मु0अ0सं0- 0127/2018 धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट ,उत्तर पूर्वी दिल्ली।

10. मु0अ0सं0- 0127/2018 धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट, थाना क्राइम ब्रांच दिल्ली।

11. मु0अ0सं0- 3696/2020 धारा 379/411/482 भादवि, थाना मधुविहार ईस्ट दिल्ली।

12. मु0अ0सं0- 0823/2015 थाना हरिनगर पश्चिमी दिल्ली।

13. मु0अ0सं0- 0037/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना एक्सप्रेस-वे, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

14. मु0अ0सं0- 0114/2021 धारा 397/34/412/395 भादवि व धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट, थाना पश्चिमी विहार ईस्ट दिल्ली।

15. मु0अ0सं0- 0079/2019 धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट, थाना क्राइम ब्रान्च दिल्ली।

- **अभियुक्त पुनीत अरोड़ा का आपराधिक इतिहास--**

1. मु0अ0सं0- DD NO. 97 धारा 41(1) सीआरपीसी, तीस हजारी दिल्ली।

2. मु0अ0सं0- 396/2010 धारा 379 भादवि, तीस हजारी दिल्ली।

3. मु0अ0सं0- 542/2010 धारा 356/379/34 भादवि, रोहिणी दिल्ली।

4. मु0अ0सं0- 555/2010 धारा 356/379/34 भादवि, रोहिणी दिल्ली।

5. मु0अ0सं0- 261/2010 धारा 356/376/34 भादवि, रोहिणी दिल्ली।

6. मु0अ0सं0- 187/2011 धारा 356/379/411 भादवि, रोहिणी दिल्ली।

7. मु0अ0सं0- 162/2011 धारा 395/397/34 भादवि, तीस हजारी दिल्ली।

8. मु0अ0सं0- 106/2011 धारा 356/379/411/34 भादवि, द्वारिका दिल्ली।

9. मु0अ0सं0- 080/2011 धारा 356/379/411 भादवि, द्वारिका दिल्ली।

10. मु0अ0सं0- 204/2011 धारा 379/356/411 भादवि, द्वारिका दिल्ली।

11. मु0अ0सं0- 231/2011 धारा 379 भादवि, रोहिणी दिल्ली।

12. मु0अ0सं0- 197/2012 धारा 379/411 34 भादवि, तीस हजारी दिल्ली।

13. मु0अ0सं0- 300/2014 धारा 392/34 भादवि व 25/27/59 आर्म्स एक्ट, कडकडडूमा दिल्ली।

3. थाना सेक्टर-142 पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25000 रुपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध शस्त्र बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **22.07.2025** को **थाना सेक्टर-142 पुलिस** द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25000 रुपये का इनामिया अभियुक्त रोहित कुमार पुत्र बीरबल सिंह को सेक्टर-140 नोएडा के पास सर्विस रोड से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा व 02 कारतूस .315 बोर बरामद किया गया है।

अपराध का विवरण-- अभियुक्त रोहित कुमार एक शातिर किस्म का अपराधी है, जो अवैध शस्त्र रखने व चोरी आदि करने का आदी है अभियुक्त चोरी व अवैध शस्त्र रखने के अपराध में कई बार जेल जा चुका है। अभियुक्त रोहित द्वारा अपने साथी अनिल के साथ मिलकर ई-रिक्शा को किराये पर करता था तथा एकांत स्थान पर ले जाकर लघु शंका के बहाने रोकने के लिये कहता और मौका पाते ही ई-रिक्शा चोरी करके अपने गैंग के साथ ले जाता था जिसके संबंध में थाना सेक्टर-142 पर अभियोग पंजीकृत किये गये थे। अभियुक्त को दिनांक 10.11.2024 को पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुस्ता रोड से गिरफ्तार कर कब्जे से तमंचा व कारतूस, चोरी की ई-रिक्शा व मोटरसाइकिल बरामद की गयी थी। दिनांक 18.02.2025 को थाना सेक्टर-142 पर मु0अ0सं0 26/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया जिसमें अभियुक्त वांछित चल रहा था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु डीसीपी सेन्ट्रल नोएडा द्वारा 25000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

रोहित कुमार पुत्र बीरबल सिंह निवासी ग्राम बनैल, पटियाली थाना गंजडुण्डवारा, कासगंज, उम्र करीब 26 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 146/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-142, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 026/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना सेक्टर-142, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 127/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-142, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 152/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-142, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 155/2024 धारा 109/3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-142, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
6. ई-एफआईआर सं0-032663/24 धारा 305(बी),317(2) बीएनएस, थाना कालका जी नई दिल्ली।

बरामदगी का विवरण--

01 तमंचा व 02 कारतूस .315 बोर।